अनुदान संख्या 1 – कृषि और सहकारिता विभाग
GRANT No. 1–DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CO-OPERATION

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	11822,67,00	12045,53,00	11890,39,64	–155,13,36
पूरक	Supplementary	222,86,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				118,07,64
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		92,55,00	44,59,76	–47,95,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				42,98,12

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (15513.36 लाख रु.) दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 22286.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 70 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.15513.36 lakhs) constituted 70 percent of the supplementary grants of Rs.22286.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	5915.00	6565.46	6284.20	–281.26
पू.	S.	741.00			
पु.	R.	–90.54			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2401'' फसल कृषि कर्म	Major Head "2401" Crop Husbandry				
मू.	O.	531516.00			
पू.	S.	21391.00	625142.34	622280.94	–2861.40
पु.	R.	72235.34			
मुख्य शीर्ष ''2402'' मृदा तथा जल संरक्षण	Major Head "2402" Soil and Water Conservation				
मू.	O.	1476.00	1652.00	1598.74	–53.26
पु.	R.	176.00			
मुख्य शीर्ष ''2425'' सहकारिता	Major Head "2425" Co-operation				
मू.	O.	7900.00	7775.40	7775.40	. .
पु.	R.	–124.60			
मुख्य शीर्ष ''2435'' अन्य कृषि कार्यक्रम	Major Head "2435" Other Agricultural Programmes				
मू.	O.	18438.00			
पू.	S.	152.00	18145.55	17828.43	–317.12
पु.	R.	-444.45			
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	71600.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–71600.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	544044.00				
पू.	S.	1.00		532363.10	532175.45	–187.65
पु.	R.	–11681.90				

(I) 86871.00 लाख रु. का प्रावधान चवालीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 85933.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.86871.00 lakhs remained wholly unutilised under forty four heads; of these Rs.85933.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2401" -

(A) Major Head "2401" –

(क) "वाणिज्यिक फसलें - वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम" - 2500.00 लाख रु. स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(a) "Commercial Crops –Rainfed Area Development Programme" – Rs.2500.00 lakhs – due to non-approval of the schemes.

(ख) "कृषि इंजीनियरी" -

(b) "Agricultural Engineering" –

(i) "किसान के खेत में बागवानी उपस्करों सहित नव विकसित कृषि उपस्करों का प्रशिक्षण देने और उनका प्रदर्शन करने की बाहरी स्त्रोतों से व्यवस्था" - 200.00 लाख रु. कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष का शेष उपलब्ध होने और प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(i) "Outsourcing of training and demonstration of newly Developed Agricultural Equipments including Horticulture equipments at farmers field" – Rs.200.00 lakhs - due to availability of unspent balance of previous year with the implementing agencies and non-finalization of proposals.

(ii) "फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी" - 233.00 लाख रु. कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने की वजह से प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ii) "Post Harvest Technology" – Rs.233.00 lakhs – due to non-finalisation of proposals owing to availability of unspent balance of previous year with the implementing agencies.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''फसल कृषि कर्म - विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण'' -

(i) ''राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता'' - 3000.00 लाख रु.;

(ii) ''कृषि विस्तार को जन संचार माध्यम सहायता'' - 1000.00 लाख रु.;

(iii) ''कृषि निदानशालाओं/कृषि व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना'' - 150.00 लाख रु.;

(ख) ''फसल कृषि कर्म - कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी'' -

(i) ''कृषि जनगणना'' - 200.00 लाख रु.;

(ii) ''कृषि सांख्यिकी का सुधार'' - 500.00 लाख रु.;

(iii) ''कृषि आर्थिक नीति और विकास के लिए निवेश संबंधी अध्ययन'' - 500.00 लाख रु.;

(ग) ''फसल कृषि कर्म - बीज - बिलों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण'' - 1200.00 लाख रु.;

(घ) ''फसल कृषि कर्म - खाद और उर्वरक - जैव खेती के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' - 600.00 लाख रु.;

(ङ) ''फसल कृषि कर्म - कृषि इंजीनियरी'' -

(i) किसान के खेत में बागवानी उपस्करों सहित नव विकसित कृषि उपस्करों का प्रशिक्षण और उनका प्रदर्शन करने की बाहरी स्त्रोतों से व्यवस्था'' - 108.00 लाख रु.;

(B) Major Head "2552" –

(a) "Crop Husbandry – Extension and Farmers' Training" –

(i) "Support to State Extension Services" – Rs.3000.00 lakhs;

(ii) "Mass Media Support to Agricultural Extension" – Rs.1000.00 lakhs;

(iii) "Establishment of Agri-Clinics/Agri-business Centres" – Rs.150.00 lakhs;

(b) "Crop Husbandry – Agricultural Economics and Statistics" –

(i) "Agricultural Census" – Rs.200.00 lakhs;

(ii) "Improvement of Agricultural Statistics" – Rs.500.00 lakhs;

(iii) "Studies on input for Agricultural Economic Policy and Development" – Rs.500.00 lakhs;

(c) "Crop Husbandry – Seeds – Development and Strengthening of Seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds" – Rs.1200.00 lakhs;

(d) "Crop Husbandry - Manures and Fertilisers – National Project on Promotion of Organic Farming" – Rs.600.00 lakhs;

(e) "Crop Husbandry – Agriculture Engineering" –

(i) "Outsourcing of training and demonstration of newly developed agricultural equipment including horticulture equipment at farmer's field" – Rs.108.00 lakhs;

(ii) ट्रैक्टर प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान'' - 192.00 लाख रु.;

(च) ''फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें'' -

(i) ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन'' - 9000.00 लाख रु.;

(ii) ''वर्षा पोषित विकास कार्यक्रम'' -1500.00 लाख रु.;

(छ) ''फसल कृषि कर्म - तिलहनों का विकास - तिलहन, खजूर तेल, दालों और मक्का का एकीकृत विकास'' - 1400.00 लाख रु.;

(ज) ''फसल कृषि कर्म - बागवानी और वनस्पति फसलें'' -

(i) ''राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान'' - 500.00 लाख रु.;

(ii) ''केंद्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना'' - 300.00 लाख रु.;

(iii) ''पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में बागवानी के एकीकृत विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन'' - 28000.00 लाख रु. ;

(iv) 'बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन'' - 4000.00 लाख रु.;

(झ) ''फसल कृषि कर्म - अन्य व्यय'' -

(i) ''कृषि का वृहत प्रबंधन'' - 16500.00 लाख रु.;

(ii) ''कृषि सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन'' - 250.00 लाख रु.;

(ii) "Tractor Training and Testing Institutes" – Rs.192.00 lakhs;

(f) "Crop Husbandry - Commercial Crops" –

(i) "National Food Security Mission" – Rs.9000.00 lakhs;

(ii) "Rainfed Area Development Programme" – Rs.1500.00 lakhs;

(g) "Crop Husbandry - Development of Oil Seeds – Integrated Oilseed, Oil Palm, Pulses and Maize Development" – Rs.1400.00 lakhs;

(h) "Crop Husbandry – Horticulture and Vegetable Crops" –

(i) "Grants-in-aid to National Horticulture Board" – Rs.500.00 lakhs;

(ii) "Estt. of Central Institute of Horticulture" – Rs.300.00 lakhs;

(iii) "Technology Mission on Integrated Development of Horticulture in North Eastern States, Sikkim, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttaranchal" – Rs.28000.00 lakhs;

(iv) "National Mission on Bamboo Technology and Trade Development"– Rs.4000.00 lakhs;

(i) "Crop Husbandry – Other Expenditure" –

(i) "Macro Management of Agriculture" – Rs.16500.00 lakhs;

(ii) "Strengthening/promoting agricultural information system" – Rs.250.00 lakhs;

(ञ) ''सहकारिता - सहकारी शिक्षा - शिक्षा और प्रशिक्षण की पुनर्गठित स्कीम - 500.00 लाख रु.;

(ट) ''सहकारिता - अन्य सहकारिताओं को सहायता - सहकारिताओं के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता'' - 300.00 लाख रु.;

(ठ) ''अन्य कृषि कार्यक्रम - विपणन सुविधाएं'' -

(i) ''ग्रामीण गोदामों का निर्माण'' - 700.00 लाख रु.; और

(ii) ''बाजार अवसंरचना का विकास, श्रेणीकरण और बाजार मानकीकरण'' - 700.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तेईस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम - 11200.00 लाख रु. स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(ख) ''फसल कृषि कर्म - विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण - राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता'' - 700.00 लाख रु. राज्य सरकारों के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण थे।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(j) "Co-operation - Co-operative Education – Restructured Scheme of education and training" – Rs.500.00 lakhs;

(k) "Co-operation - Assistance to other Co-operatives – Assistance to NCDC for Development of Cooperatives" – Rs.300.00 lakhs;

(l) "Other Agricultural Programmes – Marketing Facilities" –

(i) "Construction of Rural Godowns" – Rs.700.00 lakhs; and

(ii) "Development of Market Infrastructure, Grading and Market Standardization" – Rs.700.00 lakhs.

Provisions under the above twenty three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" –

(a) "Crop Husbandry – Commercial Crops – Rainfed Area Development Programme"– Rs.11200.00 lakhs - due to non-approval of the schemes.

(b) "Crop Husbandry – Extension and Farmers Training – Support to State Extension Services" – Rs.700.00 lakhs - due to availability of unspent balance of previous years with the State Governments.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2401" -

(क) "वाणिज्यिक फसलें - वाणिज्यिक फसल विकास निदेशालय" - 253.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 7.34 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 260.34 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 12.04 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई;

(ख) "कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी - कृषि लागत एवं मूल्य आयोग" - 378.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 26.70 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 404.70 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 75.44 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(ग) बागवानी और वाणिज्यिक फसलें - सुपारी और मसाले विकास निदेशालय - 133.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 8.04 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 141.04 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 23.45 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई;

(खा) मुख्य शीर्ष "2435" - "विपणन और गुणता नियंत्रण - श्रेणीकरण और गुणता सुविधाएं"-

(क) "एग्मार्क श्रेणीकरण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण"- 1742.81 लाख रु. के मूल प्रावधान को 117.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1859.81 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 137.33 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(ख) "निर्यात गुणता नियंत्रण" - 613.42 लाख रु. के मूल प्रावधान को 35.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके 648.42 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 46.83

(A) Major Head "2401" –

(a) "Commercial Crops – Directorates for Development of Commercial Crops" – the original provision of Rs.253.00 lakhs was augmented to Rs.260.34 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.7.34 lakhs. However, there was a saving of Rs.12.04 lakhs (including supplementary grant);

(b) "Agricultural Economics and Statistics – Commission for Agricultural Costs and Prices" – the original provision of Rs.378.00 lakhs was augmented to Rs.404.70 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.26.70 lakhs. However, there was a saving of Rs.75.44 lakhs (including supplementary grant);

(c) "Horticulture and Vegetable Crops – Diretorate of Arecanut and Spices Development" – the original provision of Rs.133.00 lakhs was augmented to Rs.141.04 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.8.04 lakhs. However, there was a saving of Rs.23.45 lakhs (including supplementary grant); and

(B) Major Head "2435" – "Marketing and Quality Control – Grading and Quality Facilities"–

(a) "Strengthening of Agmark Grading Facilities" – the original provision of Rs.1742.81 lakhs was augmented to Rs.1859.81 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.117.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.137.33 lakhs (including supplementary grant).

Savings under the above four heads were due to economy measures.

(b) "Export Quality Control" – the original provision of Rs.613.42 lakhs was augmented to Rs.648.42 lakhs by obtaining

लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

supplementary grant of Rs.35.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.46.83 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3451''- ''सचिवालय - कृषि और सहकारी विभाग'' - 5701.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 731.10 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 6432.10 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण 371.28 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Agriculture and Co-operation"– the original provision of Rs.5701.00 lakhs was augmented to Rs.6432.10 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.731.10 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of Rs.371.28 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2401'' -

(क) ''वनस्पति संरक्षण - वनस्पति संरक्षण, संगरोध और भंडारण''- 6171.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 295.22 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 6466.22 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, विभिन्न राज्यों में सूखे की स्थिति की वजह से कृषक का खेत विद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किए जाने के कारण 95.94 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी - अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय'' - 1356.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 43.11 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1399.11 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 14.55 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(ग) ''बागवानी और वनस्पति फसलें - काजू विकास निदेशालय'' - 96.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 11.27 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 107.27 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 6.06 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "2401" –

(a) "Plant Protection – Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage" – the original provision of Rs.6171.00 lakhs was augmented to Rs.6466.22 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.295.22 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.95.94 lakhs - due to non-conducting of farmer's field school training programme owing to drought conditions in various States.

(b) "Agricultural Economics and Statistics - Directorate of Economics and Statistics" – the original provision of Rs.1356.00 lakhs was augmented to Rs.1399.11 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.43.11 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of Rs.14.55 lakhs; and

(c) "Horticulture and Vegetable Crops - Directorate of Cashewnut Development"– the original provision of Rs.96.00 lakhs was augmented to Rs.107.27 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.11.27 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.6.06 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष "2401" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "बीज"-

(क) "पीवीपी विधान लागू किया जाना" - 163.97 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने तथा भिन्नता, एकसमानता एवं स्थिरता केन्द्रों द्वारा व्यय धीमी गति से किए जाने के कारण हुई;

(ख) "बीजों के उत्पादन और वितरण संबंधी बीज अवसरंचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण"-10984.00 लाख रु. की बचत (32900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने/कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई;

(खा) "खाद और उर्वरक" -

(क) "जैव खेती के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" - 736.45 लाख रु. की बचत (1185.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" - 370.12 लाख रु. की बचत (4435.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जांचसूची के अनुसार कुछ कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा सूचना समय पर प्रस्तुत न किए जाने की वजह से प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(गा) "वाणिज्यिक फसलें" -

Savings under the above two heads were due to economy measures.

(IV) Under Major Head "2401" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Seeds" –

(a) "Implementation of P.V.P. Legislation" – saving of Rs.163.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year with the implementing agencies and slow pace of expenditure by Distinctness, Uniformity and Stability Centres.

(b) "Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for Production and Distribution of Seeds" – saving of Rs.10984.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.32900.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals/receipt of less proposals from implementing agencies.

(B) "Manures and Fertilisers" –

(a) "National Project on Promotion of Organic Farming" – saving of Rs.736.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1185.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(b) "National Project on Management of Soil Health and Fertility" – saving of Rs.370.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4435.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals owing to non-furnishing of timely information by some of the implementing agencies as per the checklist.

(C) "Commercial Crops" –

(क) ''कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन'' - 107.20 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने की वजह से प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन'' 24291.33 लाख रु. की बचत (126000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घा) ''विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण'' -

(क) ''राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता'' - 8165.79 लाख रु. की बचत (26025.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''कृषि निदानशाला/कृषि व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना''- 180.00 लाख रु. की बचत (850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ङ) ''कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी'' -

(क) ''कृषि जनगणना'' - 451.05 लाख रु. की बचत (493.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(ख) ''अंतरिक्ष कृषि मौसम विज्ञान और भू आधारित प्रेक्षण का उपयोग करके कृषि पैदावार का पूर्वानुमान लगाना'' - 368.57 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Technology Mission on Cotton" – saving of Rs.107.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals owing to non-receipt of Monthly Progress Reports by the Institutes.

(b) "National Food Security Mission" – saving of Rs.24291.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.126000.00 lakhs);

(D) "Extension and Farmer's Training" –

(a) "Support to State Extension Services" – saving of Rs.8165.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.26025.00 lakhs); and

(b) "Establishment of Agri Clinic/Agri Business Centre's" – saving of Rs.180.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.850.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to availability of unspent balance of previous years with the implementing agencies.

(E) "Agricultural Economics and Statistics" –

(a) "Agricultural Census" – saving of Rs.451.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.493.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals from implementing agencies and non-filling up of vacant posts.

(b) "Forecasting Agril. Output using Space Agro Metrology and Land Based Observation" – saving of Rs.368.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals and less demand from implementing agencies.

(चा) ''बागवानी और वनस्पति फसलें'' -

(क) ''नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन सहित नारियल विकास बोर्ड को सहायता अनुदान''- 1010.00 लाख रु. की बचत 7500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''राष्ट्रीय बागवानी मिशन'' - 30000.00 लाख रु. की बचत (110000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(छा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''कृषि का वृहत प्रबंधन'' - 190.94 लाख रु.की बचत (500.00 लाख रु.के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रत्यक्ष वित्तपोषित घटक के लिए विषय वस्तु प्रभाग से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा बिना विधान वाले संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई;

(ख) ''कृषि सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन'' - 461.34 लाख रु. की बचत (2150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई;

(ग) ''राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - 1301.65 लाख रु. की बचत (0.91 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 1437.91 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को निधियां जारी नहीं किए जाने की वजह से प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा घरेलू यात्रा खर्चों तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(F) "Horticulture and Vegetable Crops" –

(a) "Grants-in-aid to Coconut Development Board including Technology Mission on Coconut" – saving of Rs.1010.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(b) "National Horticulture Mission" – saving of Rs.30000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.110000.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous years with the implementing agencies.

(G) "Other Expenditure" –

(a) "Macro Management of Agriculture" – saving of Rs.190.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the subject matter division for direct funded component and non-finalisation of proposals from Union Territory without legislature.

(b) "Strengthening/Promoting Agricultural Information System" – saving of Rs.461.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2150.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year with the implementing agencies.

(c) "Rashtriya Krishi Vikas Yojana" – saving of Rs.1301.65 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1437.91 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.91 lakh) was due to non-finalisation of proposals owing to non-release of funds to Union Territory Governments and requirement of less funds towards domestic travel expenses and other administrative expenses.

(V) मुख्य शीर्ष ''2425'' - ''सहकारी शिक्षा - पुनर्संरचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्कीम'' के अंतर्गत 224.60 लाख रु.की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति द्वारा निर्मुक्तियां अनुमोदित आबंटन के अनुसार सीमित किए जाने की वजह से प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2425" – "Co-operative Education – Restructured Scheme of Education and Training" – saving of Rs.224.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals owing to restriction of releases to the extent of approved allocation by the Expenditure Finance Committee.

(VI) मुख्य शीर्ष ''2435'' - ''विपणन और गुणता नियंत्रण - विपणन सुविधाएं'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''बाजार सर्वेक्षण - अनुसंधान और अन्वेषण'' - 207.69 लाख रु.की बचत (1017.27 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(खा) ''ग्रामीण गोदामों का निर्माण'' - 205.06 लाख रु. की बचत (6300.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) ''विपणन अनुसंधान, सर्वेक्षण और विपणन सूचना तंत्र''- 178.91 लाख रु. की बचत (275.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) ''छोटे किसानों का कृषि व्यवसाय सहायता संघ'' - 220.00 लाख रु. की बचत (1900.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(VI) Under Major Head "2435" – "Marketing and Quality Control – Marketing Facilities" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Market Survey – Research and Investigation" – saving of Rs.207.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1017.27 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(B) "Construction of Rural Godowns" – saving of Rs.205.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6300.00 lakhs);

(C) "Marketing Research, Survey and Marketing Information Network" – saving of Rs.178.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.275.00 lakhs); and

(D) "Small Farmers Agri-Business Consortium" – saving of Rs.220.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1900.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to availability of unspent balance of previous years with the implementing agencies.

(VII) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान''-

(क) ''अन्य (अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) - अन्य अनुदान - स्थानान्तरण खेती के नियंत्रण संबंधी प्रायोगिक परियोजना'' - 180.00 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "3601" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants for State Plan Schemes" –

(a) "Others (Other Special Area Programmes) – Other Grants – Pilot Project for Control of Shifting Cultivation" – saving of Rs.180.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals.

(ख) ''फसल कृषि कर्म'' - अन्य अनुदान - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना'' - 29617.00 लाख रु. की बचत (405270.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) ''केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान''-

(क) ''फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - जूट प्रौद्योगिकी मिशन - मिनी मिशन-II'' - 287.62 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) ''फसल कृषि कर्म - खाद और उर्वरक - जैव खेती के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' - 671.92 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) ''फसल कृषि कर्म - कृषि इंजीनियरी'' -

(i) ''किसान के खेत में बागवानी उपस्कर सहित नव विकसित कृषि उपस्कर के प्रशिक्षण और प्रदर्शन की बाहरी स्रोत से व्यवस्था'' - 741.05 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) ''फसल पश्चात प्रौद्योगिकी'' - 133.65 लाख रु. की बचत (267.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); तथा

(गा) ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - सघन कपास विकास कार्यक्रम और कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन'' - 380.53 लाख रु. की बचत (5200.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(b) "Crop Husbandry – Other Grants – Rashtriya Krishi Vikas Yojana" – saving of Rs.29617.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.405270.00 lakhs);

(B) "Grants for Central Plan Schemes" –

(a) "Crop Husbandry – Commercial Crops – Jute Technology Mission – Mini Mission-II" – saving of Rs.287.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs);

(b) "Crop Husbandry – Manures and Fertilisers - National Project on Promotion of Organic Farming" – saving of Rs.671.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs);

(c) "Crop Husbandry – Agricultural Engineering" –

(i) "Outsourcing of training and demonstration of Newly Developed Agricultural Equipment including Horticulture Equipment at Farmer's field"– saving of Rs.741.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs);

(ii) "Post Harvest Technology" – saving of Rs.133.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.267.00 lakhs); and

(C) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Crop Husbandry – Commercial Crops – Intensive Cotton Development Programme and Technology Mission on Cotton" – saving of Rs.380.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5200.00 lakhs).

Savings under the above six heads were due to availability of unspent balance of previous years with the State Governments.

(VII) चार शीर्षों के अंतर्गत 314.89 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक थीं।

(VII) Under four heads savings of Rs.314.89 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 23 percent to 85 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (150123.74 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 21392.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (Rs.150123.74 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.21392.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2401''-

(क) ''विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण - राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-I'' - 141.53 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 130.69 लाख रु. था।

(ख) ''फसल बीमा - राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीमें लागू करने के लिए जीआईसी/ एआईसी को अदायगी'' - 71690.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 71689.97 लाख रु. था।

(ग) ''कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी - कृषि आर्थिक नीति और विकास के निवेश संबंधी अध्ययन'' - 1114.52 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 640.98 लाख रु. था।

(घ) ''तिलहनों का विकास - तिलहन/खजूर तेल/दालों और मक्का का एकीकृत विकास'' - 7000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 6974.96 लाख रु. था।

(ङ) ''बागवानी और वनस्पति फसलें''-

(i) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान'' - 300.00 लाख रु.।

(ii) पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में बागवानी के एकीकृत विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन'' - 25083.69 लाख रु.।

(A) Major Head "2401" –

(a) "Extension and Farmer's Training – National Agricultural Extension Project-I" – Rs.141.53 lakhs. Actual excess, however, was Rs.130.69 lakhs.

(b) "Crop Insurance - Payment to GIC/AIC for Implementation of National Agricultural Insurance Schemes (NAIS)" – Rs.71690.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.71689.97 lakhs.

(c) "Agricultural Economics and Statistics - Studies on input for Agricultural Economic Policy and Development" – Rs.1114.52 lakhs. Actual excess, however, was Rs.640.98 lakhs.

(d) "Development of Oil Seeds – Integrated Oilseed/Oil Palm/ Pulses and Maize Development" – Rs.7000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.6974.96 lakhs.

(e) "Horticulture and Vegetable Crops" –

(i) "Grants-in-aid to National Horticulture Board" – Rs.300.00 lakhs.

(ii) "Technology Mission on Integrated Development of Horticulture in North East States, Sikkim, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttaranchal" – Rs.25083.69 lakhs.

(च) ''अन्य व्यय - एमआईएस/पीएसएस के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड को अनुदान'' - 42500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 42499.99 लाख रु. था।

(f) "Other Expenditure – Grant to National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited for MIS/PSS" – Rs.42500.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.42499.99 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - योजनेतर स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान - सूखा और कम वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में डीजल सहायता'' - 2294.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2293.62 लाख रु. था।

(B) Major Head "3601" – "Grants for Non-Plan Schemes – Crop Husbandry – Other Grants – Diesel Subsidy in Drought and Deficit Rainfall affected Areas" – Rs.2294.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2293.62 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2401''-

(A) Major Head "2401" –

(क) ''विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण - कृषि विस्तार को जन संचार माध्यमों की सहायता'' - 2007.81 लाख रु. का अधिक व्यय (7700.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(a) "Extension and Farmer's Training - Mass Media Support to Agricultural Extension" – excess of Rs.2007.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7700.00 lakhs);

(ख) ''बागवानी और वनस्पति फसलें'' -

(b) "Horticulture and Vegetable Crops" –

(i) ''बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन'' - 1979.48 लाख रु. का अधिक व्यय (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(i) "National Mission on Bamboo Technology and Trade Development" – excess of Rs.1979.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs); and

(ii) ''केन्द्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना'' - 141.81 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(ii) "Establishment of Central Institute of Horticulture" – excess of Rs.141.81 lakhs (against nil provision).

उपर्युक्त तीन शार्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ग) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - खाद्य और कृषि संगठन'' - 107.11 लाख रु. का अधिक व्यय (950.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत सरकार के अंशदान में वृद्धि होने और विनिमय दर में परिवर्तन होने के कारण हुआ।

(c) "International Co-operation – Food and Agricultural Organisation" – excess of Rs.107.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.950.00 lakhs) was due to increase in Government of India's contribution and variation in exchange rate.

(खा) मुख्य शीर्ष "2402" - "मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण - अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण और सुदूर संवेदी प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग" - 122.74 लाख रु. का अधिक व्यय (1431.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "2435" - "विपणन और गुणता नियंत्रण - विपणन सुविधाएं - बाजार का विकास, अवसंरचना, श्रेणीकरण और विपणन मानकीकरण" - 261.00 लाख रु. का अधिक व्यय (6100.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर निधियों का उपयोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601"-

(क) "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान"-

(i) "फसल कृषि कर्म - कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी - कृषि सांख्यिकी का सुधार" - 1645.00 लाख रु. का अधिक व्यय (5375.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "फसल कृषि कर्म - बीज - बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण" - 6425.08 लाख रु. का अधिक व्यय (8000.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वार्षिक कार्य योजना तैयार किए जाने की वजह से राज्यों से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ;

(iii) "फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान - कृषि के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का संवर्धन/सुदृढ़ीकरण"- 255.84 लाख रु. का अधिक व्यय (100.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(B) Major Head "2402" – "Soil Survey and Testing – All India Soil and Land use Survey and Application of Remote Sensing Technology" – excess of Rs.122.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1431.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of Sixth Central Pay Commission Report.

(C) Major Head "2435" – "Marketing and Quality Control – Marketing Facilities – Development of Market, infrastructure, grading and Marketing Standardisation" – excess of Rs.261.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6100.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(D) Major Head "3601" –

(a) "Grants for Central Plan Schemes" –

(i) "Crop Husbandry - Agricultural Economics and Statistics – Improvement of Agricultural Statistics" – excess of Rs.1645.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5375.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of Sixth Central Pay Commission Report.

(ii) "Crop Husbandry – Seeds – Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for Production and Distribution of Seeds" – excess of Rs.6425.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds from States owing to formulation of Annual Action Plan.

(iii) "Crop Husbandry – Other Grants – Promotion/Strengthening of IT in Agriculture" – excess of Rs.255.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.100.00 lakhs);

(ख) ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(i) ''फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान - कृषि का वृहत प्रबन्धन'' - 13939.92 लाख रु. का अधिक व्यय (77900.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) ''फसल कृषि कर्म - तिलहनों का विकास - तिलहन, खजूर तेल, दालों और मक्का का एकीकृत विकास'' - 7553.76 लाख रु. का अधिक व्यय (22100.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) दो शीर्ष के अंतर्गत 138.08 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत और 790 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" –

(i) "Crop Husbandry – Other Grants - Macro Management of Agriculture" – excess of Rs.13939.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.77900.00 lakhs); and

(ii) "Crop Husbandry – Development of Oil Seeds – Integrated Oilseed, Oil Palm, Pulses and Maize Development" – excess of Rs.7553.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.22100.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under two heads excess of Rs.138.08 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 15 percent and 790 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4401'' फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4401" Capital Outlay on Crop Husbandry				
मू.	O.	2455.00	1056.88	691.43	–365.45
पु.	R.	–1398.12			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4435'' अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4435" Capital Outlay on Other Agricultural Programmes				
मू.	O.	200.00	25.00	20.56	–4.44
पु.	R.	–175.00			
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	400.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–400.00			
मुख्य शीर्ष ''6425'' सहकारिता के लिए कर्ज	Major Head "6425" Loans for Cooperation				
मू.	O.	5800.00	3500.00	3500.00	. .
पु.	R.	–2300.00			

(I) 400.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''फसल कृषि कर्म - बागवानी और वनस्पति फसलें - केन्द्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना'' के अंतर्गत प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.400.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" - "Crop Husbandry – Horticulture and Vegetable Crops – Establishment of Central Institute of Horticulture" – due to non-finalisation of proposals.

(II) मुख्य शीर्ष ''4401'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "4401" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''खाद और उर्वरक'' -

(A) "Manures and Fertilizers" –

(क) ''जैव खेती के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' - 216.41 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; तथा

(ख) ''मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' - 175.71 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुईं।

(खा) ''वनस्पति संरक्षण - देश में पीड़क जन्तु प्रबंधन उपागम का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण'' - 167.31लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(गा) ''कृषि इंजीनियरी - खेती मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान की स्थापना'' - 1033.37 लाख रु. की बचत (1220.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा आधे-अधूरे प्रस्ताव पेश किए जाने की वजह से प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''4435'' - ''विपणन और गुणता नियंत्रण - विपणन सुविधाएं - बाजार का विकास, अवसंरचना, श्रेणीकरण और बाजार मानकीकरण'' के अंतर्गत 179.44 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किए जाने की वजह से प्रयोगशालाओं के लिए उपस्करों की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''6425'' - ''ऋण सहकारिताओं को कर्ज - भूमि विकास बैंक के लिए कर्ज'' के अंतर्गत 2300.00 लाख रु. की बचत (5800.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत सरकार के भाग में कटौती होने, पुनर्अदायगी न किए जाने और कुछ राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा डिबेंचर जारी न किए जाने के कारण हुई।

(a) "National Project on Promotion of Organic Farming" – saving of Rs.216.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs); and

(b) "National Project on management of Soil Health and Fertility" – saving of Rs.175.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of proposals and non-utilisation of funds by Central Public Works Department.

(B) "Plant Protection - Strengthening and Modernisation of Pest Management Approach in the Country"– saving of Rs.167.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals.

(C) "Agricultural Engineering – Estt. of Farm Machinery Training and Testing Institute" – saving of Rs.1033.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1220.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals owing to submission of incomplete proposals by subordinate offices.

(III) Under Major Head "4435" – "Marketing and Quality Control – Marketing Facilities – Development of Market, Infrastructure, grading and market standardization" – saving of Rs.179.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-finalsiation of proposals for purchase of equipment for laboratories owing to non-fulfillment of conditions prescribed in tender.

(IV) Under Major Head "6425" – "Loans to Credit Cooperatives – Loans for Land Development Bank" – saving of Rs.2300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5800.00 lakhs) was due to reduction of Government of India's share, default in repayment and non-floatation of Debentures by some of the State Land Development Banks.

(V) चार शीर्षों के अंतर्गत 300.59 लाख रु. की बचतें हुईं जो स्वीकृत प्रावधान का 37 से 94 प्रतिशत तक थीं।

(V) Under four heads savings of Rs.300.59 lakhs occurred constituting 37 percent to 94 percent of the sanctioned provision.